मई, मज़दूर दिवस जिंदाबाद
शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, फ़रीदाबाद

मज़दूरों को, सारे समाज को पूंजी की गुलामी से आज़ाद कराना है "मुझसे पूछा गया है, कि मैं बताऊं कि मुझे फांसी क्यों ना दी जाए, जबकि मैं जानता हूं कि मेरी फांसी का फंदा तैयार हो चुका और जल्लाद मेरा इंतजार कर रहे हैं. फिर भी मैं अपनी बात रखूंगा. 1880 की अमेरिकी जनगणना बताती है कि अमेरिका में 1,62,00,000 मज़दूर हैं...ये ही वे लोग हैं, जो सारी संपदा का निर्माण करते हैं. अगर आप ये सच्चाई स्वीकार नहीं करते, तो आप मजदूर आंदोलन क्या है, ये नहीं समझ पाएंगे. ये मजदूर हैं, जिनके पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा कुछ नहीं बचा. इन्हीं की मेहनत को अमीर लूटते हैं, और ऐश करते हैं. ये लोग उजरती मज़दूर हैं, इसलिए वे, एक तरह, इन अमीरों के गुलाम हैं. मैं मजदूर हूँ, और मजदूरों के लिए लड़ता हूँ. अपने लोगों के बारे में बोलना अपराध कैसे हुआ? 'शिकागो नागरिक संघ', मालिकों का संगठन है, जो हमें फांसी दिए जाने की जल्दी कर रहा है, अदालत पर दबाव बना रहा है. उनकी इस मुकदमें में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या आपने पूछा? उनके कहने से, अगर ट्रायल जल्दी निबटाया जा रहा है, तो न्याय कहां हुआ? ये लोग तो हमारी लिंचिंग की बात कर रहे हैं, हमें मार डालने के नारे लगा रहे हैं. हमें सुना भी ना जाए, चीख रहे हैं, और आप उन्हें महत्व दे रहे हैं. सर, आप लोग निष्पक्ष कैसे हुए? ये तो भीड़ का न्याय हुआ. इसलिए अगर हमें फांसी होती है, तो वह न्याय नहीं, संस्थागत हत्या होगी. आपकी न्याय की पोथियां ऐसी हत्याओं से भरी पड़ी हैं... ये न्याय नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर, पूंजीवादी वर्ग का हमला है. इनका सोचना है कि मजदूरों का काम इनकी जी हुजूरी करना मात्र है. हमारे साथ बराबरी का दिखावा भी, इन्हें मंजूर नहीं.

क्या आप लोग मानते हैं कि मजदूरों के भी कुछ सवाल हो सकते हैं? मैं समाजवादी हूँ. क्या आप जानना चाहेंगे समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब है, उत्पादन के सभी साधनों और उत्पाद पर, मेहनतकशों की बराबर की हिस्सेदारी. मानव इतिहास लगातार विकसित हो रहा है. इसके विकास क्रम में क्रांतिकारी पड़ाव आते रहते हैं. उन्हें रोकना आप के बस में नहीं. 1789 और 1793 की फ़्रांसिसी क्रांतियां आपने सुनी होंगी, जब सामंत व्यवस्था ध्वस्त हुई थी. इसी तरह, क्रांतियां आगे भी होंगी. पूंजी क्या है, कैसे पैदा हुई? ये सब मजदूरों के श्रम का वो हिस्सा है, जिसका भुगतान उन्हें नहीं मिला. श्रम की लूट को कुछ लोग इकट्ठा करते गए, फिर और मजदूर, वेतन के गुलाम बने, और पूंजी के पहाड़ बनते गए. फिर उस पूंजी की हिफाजत के लिए आप लोगों ने कानून बना लिए. मजदूर आज कर क्या सकता है? वह बस अपना शोषक चुन सकता है. मजदूरों को, ये गुलामी हमेशा के लिए छोड़नी होगी. उन्हें अपने उत्पाद का मालिक बनना होगा और यह होकर रहेगा.

आप लोगों के मीडिया ने, पिछले दो महीने में मेरे और मेरे साथियों के बारे में इतना ज़हर उगला है कि न्याय संभव ही नहीं. मानो हम लोग नरभक्षी जानवर हैं. मालिक लोग हमारे आंदोलन के बारे में शुरू से ही खुले आम बोल रहे हैं, कि इनकी सभाओं को डायनामाइट से उड़ाओ, जिससे दूसरे मजदूरों को सबक मिले. उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? इन मजदूरों के नेताओं को सबक सिखाओ, क्या आपने नहीं सुना? अगर सारी सामाजिक

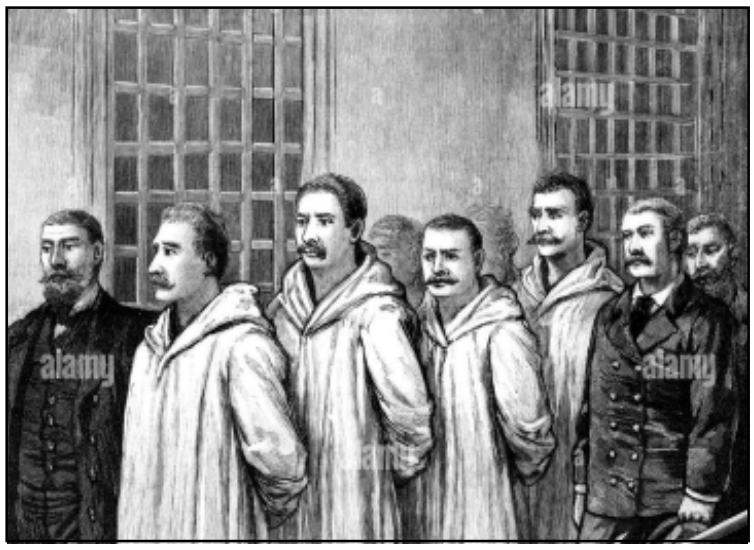

संपदा को मुट्ठी भर लोगों द्वारा हथियाने और सारे समाज को कंगाली में धकेलने को, देश के कानून उचित ठहराने वाले हैं, तो ये कानून नहीं, धूर्तता (rascality) हैं, जिनका सम्मान नहीं किया जा सकता...आप लोग क्या सजा देंगे, मुझे मालूम है. मैंने कुछ गलत नहीं किया. कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका मुझे पछतावा हो. मैं अपनी भूमिका से खुश हूँ. समाजवाद जिंदाबाद."

अल्बर्ट आर पार्संस, शिकागो के अमर शहीद मज़दूर, अदालत में बोलते हुए. उन्हें शिकागो की जेल में 11 नवम्बर, 1887 को फांसी दी गई. उनका क़सूर ये था, कि उन्होंने मज़दूरों के लिए 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के अधिकार की मांग की थी. उनके अलावा 3 और मज़दूर कार्यकर्ताओं को, उसी दिन फांसी पर लटकाया गया था. चारों साथियों, अल्बर्ट आर पार्संस, अगस्त स्पाइस, जॉर्ज एंजेल तथा अडोल्फ़ फिशर ने, पहले पेरिस कम्यून का मर्शेल्स गीत गाया और फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल.. इन क्रांतिकारियों को फांसी सरे-आम दी गई थी. फांसी के वक़्त, उनके परिवार वालों को आने की अनुमति नहीं थी, जबकि शहर के बड़े उद्योगपति, पुलिस अफ़सर, वह 'तमाशा' देखने को मौजूद थे. ये है मई दिवस (1 मई 1886) का गौरवशाली इतिहास.

जज ने अगस्त स्पाइस से पूछा, फांसी कि सज़ा क्यों ना दी जाए, आपको कुछ कहना है? "मैं, एक वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से, दूसरे वर्ग के प्रतिनिधि से बोल रहा हूँ. गरिमापूर्ण, ऊँची और चीरती हुई आवाज़ में ...अगर आप लोग सोचते हैं कि हमें फांसी पर लटकाकर, आप मज़दूर आन्दोलन को कुचल देंगे, तो आओ, आगे बढ़ो, हमें फांसी पर लटका दो... सतह के नीचे एक ज्वाला धधक रही है, जिसे आप और आपका निज़ाम बुझा नहीं पाएगा...मेरे विचार मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता. अगर सच बोलने की सज़ा फांसी है, तो हमें मंज़ूर है. मैं खुशी से ये क़ीमत चुकाने को तैयार हूँ...बुलाओ अपने जल्लाद को. सच्चाई के लिए फांसी चढ़े सुकरात, ईसा मसीह, गिओरदानो ब्रूनो, गैलिलिओ आज भी जिंदा हैं. हमें ये रास्ता इन्होने और इनके जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने दिखाया है, और हम खुशी से इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं. वक़्त आने वाला है जब हमारी बंद आवाजें दहाड़ेंगी"

एडोल्फ फिशर, अदालत में बोलते हुए, "सर, आप लोग मुझे क़त्ल के इल्जाम में फांसी देना चाहते हैं. मैं इसलिए उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी का क़त्ल नहीं किया. हाँ, अगर आप मझे, मेरे विचारों के लिए फांसी पर लटका रहे होते, इसलिए मुझे सज़ा-ए-मौत दे रहे होते कि मैं इंसानों की आज़ादी, बराबरी और भाईचारे, उनके गरिमापूर्ण जीवन की बात करता हूँ, तो मैं उसका विरोध भी ना करता. मैं क़ातिल नहीं हूँ. अगर सच्चाई के साथ खड़े होने की सज़ा मौत है, तो मैं खुशी से अपनी जान अर्पित कर देता. मुझे क़ातिल कहे जाने से आपत्ति है. हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि 4 मई 1886 को हे मार्केट में हुई मज़दूर सभा के आयोजकों में मैं भी था, मैं सभा में भी मौजूद था और मैंने अपने मज़दूर साथियों के अधिकारों के लिए भाषण भी दिया था. मैंने भाषण दिया, बम नहीं फेंका. (उसी वक़्त मज़दूरों के वकील मशहूर मानवाधिकार योद्धा मोसेस सालोमन उनके कटघरे में गए और उनके कान में फुसफुसाया लेकिन उन्होंने उन्हें भी पीछे धकेल दिया; मुझे बोलने दो). एक दिन पहले पुलिस ने, हमारे साथियों को जिस तरह मारा उससे मैं बहुत आक्रोशित था. रात में हमारी मीटिंग हुई. मुझे परचा लिखने की ज़िम्मेदारी दी गई. मैंने परचा लिखा और उसकी 25000 प्रतियाँ छपवाईं और बांटीं. हमने, अपने साथियों के, पुलिस द्वारा किए गए हत्याकांड का विरोध करने के लिए मीटिंग आयोजित की थी. हम वहाँ, किसी को मारने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे थे. क़त्ल तो छोडिए, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया.

अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क़ातिल कौन है, तो मैं कहता हूँ, असली क़ातिल ग्रिन्नेल (सरकारी वकील) है. ये सब झूठे गवाह ग्रिन्नेल ही लेकर आ रहा है. वे सब, झूठी कसम खाकर झूटे बयान दे रहे हैं, जिसका परिणाम हम सब के क़त्ल में होगा. ग्रिन्नेल होने वाले क़ातिल का नाम है. एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, अगर शासक वर्ग सोचता है कि हमें मारने से आप हमारे विचारों को मार पाएँगे, तो आप ग़लत सोच रहे हैं. हम वे लोग हैं, जिन्हें अपने विचार अपनी जान से ज्यादा प्यारे होते हैं. विचारों को फांसी नहीं दी जा सकती. दबाने से ये और फैलेंगे."

जॉर्ज एंजेल—"मज़दूर बना कुछ भी सकते हैं, ये बात अगर आप की समझ नहीं आई है तो समझ लीजिए. मैंने हे मार्केट मीटिंग में भाषण दिया था और उससे पहले भी अनेकों बार भाषण दिया है. एक बात बताइये, मज़दूर ज़मीन के अन्दर खानों में जाकर, ऐसी पुरानी जर्जर मशीनों में काम करते हैं, जिनकी मरम्मत नहीं होती. फिर हादसा होता है, सैकड़ों मज़दूर मर जाते हैं, क्या आप उस मालिक को फांसी देते हैं, जो उन सब का कातिल है. नहीं ना? फिर जब हम इन्सान जैसी ज़िन्दगी जीने के लिए, काम के घंटे 8 करना चाहते हैं, पगार में 10 सेंट बढ़ोत्तरी के लिए सभा करते हैं, तो आप हम पर गोलियां क्यों चलाते हैं? और एक बात, क्या आप लोगों को ये 'चुनाव की आज़ादी' बिन लड़े मिल गई थी? आज जैसे हालात हैं, उनमें मैं चुप नहीं बैठ सकता, ये बात मै स्पष्ट कर देना चाहता हूँ.

सारे अधिकार अमीरों को ही क्यों मिलते हैं? मज़दूरों के हिस्से कुछ भी क्यों नहीं आता. ऐसी सरकारों का मैं कभी भी सम्मान नहीं कर सकता. उनकी पुलिस और जासूसों के बावजूद, मैं ऐसी सरकारों से लड़ूंगा. मैं पूंजीपतियों से भी ज्यादा, ऐसी सत्ता से नफ़रत करता हूँ जो इस पूंजीवादी व्यवस्था को चलाती है, उन्हें ही सारे अधिकार देती है. मेरी सबसे बड़ी चाहत एक ही है कि मज़दूर अपने दोस्तों और दुश्मनों को जल्दी पहचान जाएँ."

बाद में, शिकागो में 1 मई 1886 में तैनात पुलिस कप्तान, माइकल जे शाक की किताब Anarchy and Anarchists' से पता चल गया, कि बम किसी भी मज़दूर ने नहीं फेंका था. ये सारा वहशी खूनी खेल, मज़दूर नेताओं को सबक सिखाने के लिए रचा गया था, क्योंकि उन्होंने मज़दूरों के लिए 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के सम्मानजनक ज़िन्दगी जीने के अधिकारों की मांग की थी.

मज़दूर आन्दोलन की गौरवशाली विरासत; '1 मई, मज़दूर दिवस और हमारा फ़र्ज़'

अपने अधिकारों को लुटने देना, अमर शहीदों का अपमान है: मज़दूरों का हर अधिकार, उनके लहू से नम हुई ज़मीन से ही उपजा है. कोई भी अधिकार उन्हें खैरात में नहीं मिला. इन अधिकारों को लुटने देना, ना सिर्फ़ मज़दूरों द्वारा मालिकों की गुलामी स्वीकारना है, बल्कि उन अमर बलिदानियों की शहादत का अपमान है, जिन्होंने उन्हें हांसिल करने के लिए फांसी के फंदे चूमे थे. 8 घंटे के कार्य-दिवस की जगह, आधिकारिक रूप से 12 घंटे के कार्य-दिवस का क़ानून पास करने की, तमिलनाडु सरकार की हिमाक़त, को मज़दूरों ने करारा जवाब दिया है. लेकिन जहाँ बिना घोषित किए ही, 12 घंटे काम लिया जा रहा है, उसका क्या? लखानियों का क्या, जो कोई क़ानून नहीं मान रहे. मौजूदा वर्ग-विभाजित समाज में, जहाँ पूंजीपति वर्ग सत्ता में क़ाबिज़ है, मज़दूरों के वर्ग-चेतना आधारित संगठन, फ़ौलादी एकता और लड़ने का ज़ज़्बा ही सरमाएदारों और उनकी ताबेदार सरकारों को, मज़दूरों के अधिकारों को हाथ ना लगाने से डराता है. लखानियों और उनके सरमाएदार बिरादरों की इतनी जुर्रत इसीलिए हुई, क्योंकि मज़दूर उनके कारखानों में यूनियन नहीं बना पाए. 'ख़बरदार, किसी ने यूनियन का नाम लिया तो काम से निकाल दिया जाएगा', लखानियों की इन गीदड़ भभकियों से मज़दूर डर गए क्योंकि उनमें वर्ग-चेतना, राजनीतिक समझदारी की कमी थी. याद रखिए साथियों, जितना ज़रूरी काम है, भोजन है, उतना ही ज़रूरी हमारा एका है, हमारा संगठन है, संघर्ष का ज़ज़्बा है.

ठेकेदारी प्रथा पे हल्ला बोल: शैतान मालिक ही नहीं बल्कि सरकारें भी, मज़दूरों की नियमित भर्तियों की जगह, ठेकेदारी से भर्तियाँ कर रही हैं. सरकारी पद भी ठेके से भरे जा रहे हैं. 'अग्निवीर योजना' और क्या है? हर विभाग में 80त्न से अधिक कर्मचारी ठेके पर हैं, जो ना यूनियन बना सकते हैं, ना हक़ से अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं. ठेकेदारी प्रथा, आधुनिक दास प्रथा, गुलाम बनाने की प्रथा का नाम है. इस काले धब्बे को, मज़दूरों को, अपने तीखे जन-आन्दोलनों की आंच से मिटा डालना होगा. ठेका प्रथा की जंजीरों को तोड़कर चकनाचूर कर डालना होगा, दूसरा विकल्प नहीं.

लेबर कोड क़ानून को, कृषि बिलों की तर्ज़ पर, वापस कराना होगा- 'लेबर कोड क़ानून, 2020' मज़दूरों को उस युग में ले जाने का ब्लू प्रिंट है, जब मालिक जो बोले, वही क़ायदा हुआ करता था. 'पास होने से क्या होता है, लागू तो नहीं हुए', सरकार की ये दलील धूर्ततापूर्ण है. अवर्णनीय बलिदानों से हांसिल, 44 श्रम क़ानूनों को रद्द कर, वजूद में आया '4 लेबर कोड क़ानून' बिलकुल वैसे ही वापस होना चाहिए जैसे किसानों ने तीन काले कृषि क़ानून वापस कराए थे. तमिलनाडू जैसा क़ानून पास कराने की फिराक़ में सभी सरकारें हैं. इसीलिए तो लेबर कोड क़ानून मौजूद है कि जैसे ही मज़दूर बे-ख़बर हों, हमला बोल दिया जाए.

पूंजीवाद की मुद्दत पूरी हुई, अब इसे इतिहास के संग्रहालय में पहुँचाना ही एक मात्र रास्ता है: कब से आईसीयू में पड़ा, सिसकता, पूंजीवाद नाम का ये अधमरा मरीज़, अब अपनी क़ब्र में जाने को तड़प रहा है. कोई दवा काम नहीं कर रही. हर रोज़ माहौल दमघोटू बनता जा रहा है. सारा उत्पादन, हर रोज़, अधिक से अधिक सामाजिक होता जा रहा है. उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत मालिकाना ही सारी बिमारियों की जड़ है, जो अब उत्पादिक शक्तियों के सम्पूर्ण विनाश के मंसूबे बुन रहा है. इस तंतु को अब तड़ाक से तोड़कर बिखेर डालना चाहिए. बीच के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. मेहनतक़श अवाम की व्यापक जुझारू एकता, जन-आंदोलनों से सृजित असीम ऊर्जा और उसकी गरमाहट से देशव्यापी क्रांतिकारी पार्टी का उद्भव, आज के युग की युगांतरकारी पुकार है. इसके साकार होते ही, ये मुट्ठीभर शोषक और उनके तंत्र के टीन-टप्पर रुई की तरह उड़ जाएँगे. इस तारीखी परिघटना के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, आज, हर जिंदा इंसान का पहला फ़र्ज़ है. फैज़ के शब्दों में; **कटते भी चलो बढ़ते भी चलो बाज़ू भी बहुत हैं सर भी बहुत**
चलते भी चलो कि अब डेरे, मंज़िल ही पे डाले जाएँगे

मई दिवस का कार्यक्रम

सोमवार, 1 मई, शाम 5.30 बजे, सोहना मोड़ टी पॉइंट पर जुटान. मज़दूर रैली जो 8 बजे हार्डवेयर चौक पर संपन्न होगी. चौक सभाएं- पंजाब रोलिंग मिल चौक, लखानी चौक, बिजली घर चौक, व्हर्लपूल चौक तथा हार्डवेयर चौक।